<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.01.2026</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना को0 देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–46/26 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित 02 आरोपी अभियुक्तों– 01. राहुल पाण्डेय पुत्र चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, 02. चन्द्र प्रकाश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामगोपाल पाण्डेय, निवासीगण ग्राम बाबापुरवा, मौजा ठोरहंस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को ग्राम पूरे ललक बालाजी मंदिर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 30.01.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बाबापुरवा, मौजा ठोरहंसा निवासी राहुल पाण्डेय व चन्द्र प्रकाश पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी गयी कि उनकी लड़की/बहन की करंट लगने से मृत्यु हो गयी है। इसी क्रम में डायल–112 के माध्यम से कॉलर परमेश्वर पाठक पुत्र स्व0 कन्हैया लाल पाठक निवासी ग्राम बक्सरा आझाराम, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी शादी ग्राम बाबापुरवा, ठोरहंसा निवासी चन्द्र प्रकाश पाण्डेय की सुपुत्री से तय हुई थी, जिसकी आज उसके परिजनों द्वारा हत्या कर दी गयी है। प्राप्त सूचनाओं में विरोधाभास पाए जाने पर उच्चाधिकारीगण द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर तकनीकी साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। कॉलर परमेश्वर पाठक की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु प्र0नि0 को0 देहात को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे। जिसमें आज दिनांक 31.01.2026 को थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा घटना की गहनता के जाचोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 आरोपी अभियुक्तो–01. राहुल पाण्डेय पुत्र चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, 02. चन्द्र प्रकाश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामगोपाल पाण्डेय, निवासीगण ग्राम बाबापुरवा, मौजा ठोरहंस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा को ग्राम पूरे ललक बालाजी मंदिर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनकी बहन/पुत्री दूर के रिस्तेदार परमेश्वर पाठक पुत्र स्व0 कन्हैया लाल पाठक, निवासी ग्राम बक्सरा आजाराम, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा से मोबाइल फोन पर बातचीत करती थी तथा उससे विवाह करना चाहती थी, जिसका वह व उसका पिता विरोध करते थे। अभियुक्त ने बताया कि उन्होंने बहन को कई बार समझाया, परंतु वह नहीं मानी। दिनांक 30.01.2026 को प्रातः लगभग 05.00 बजे रोशनी घर से चुपचाप निकलकर भागने की फिराक में थी, जिसे देखकर वह व उसके पिता उसे अंदर वाले कमरे में ले गये। वहां तखत के पाये से मफलर द्वारा उसकी कलाई बांध दी गई तथा दुपट्टे से मुंह बांध दिया गया ताकि वह शोर न कर सके। इसके बाद कमरे के बाहर लगे बिजली के बोर्ड से केबल जोड़कर उसके पैर में करंट लगाया गया, जिससे उसकी कुछ ही समय में मृत्यु हो गई। जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो रही है। पूछताछ में अभियुक्त चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने भी स्वीकार किया कि उसने दुपट्टे से रोशनी का मुंह बांधा था। दोनों अभियुक्तों ने

बताया कि घटना के समय घर के अन्य सदस्य बाहर वाले मकान में सो रहे थे, जिन्हें घटना की जानकारी नहीं हो सकी। घटना के बाद अभियुक्तों ने इसे दुघर्टना का रूप देने का प्रयास किया और थाने में झूठी सूचना दी, पुलिस टीम द्वारा हत्या में प्रयुक्त मफलर, दुपट्टा व मोबाइल फोन घर में छिपा रखे थे जिन्हें अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. राहुल पाण्डेय पुत्र चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, नि0 ग्राम बाबापुरवा, मौजा ठोरहंस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

02. चन्द्र प्रकाश पाण्डेय पुत्र स्व0 रामगोपाल पाण्डेय, नि0 ग्राम बाबापुरवा, मौजा ठोरहंस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–46/26 धारा 103(1), बीएनएस थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद मफलर
02. 01 अदद दुपट्टा
03. 03 अदद नोकिया कम्पनी के कीपैड मोबाइल फोन
04. 01 अदद ओप्पो कम्पनी का एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन
05. 01 अदद वीवो कम्पनी का एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 कमल शंकर चतुर्वेदी
02. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार यादव
03. उ0नि0 अक्षय चौधरी
04. हे0कां0 छोटेलाल जायसवाल
05. हे0कां0 धर्मेन्द्र कुमार यादव
06. हे0कां0 अभिमन्यु गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.01.2026</u>

<u>सर्राफा एसोसिएशन कर्नलगंज गोण्डा द्वारा आयोजित समन्वय बैठक एवं सम्मान समारोह–</u>

गोण्डा। दिनांक 30 जनवरी 2026 को सर्राफा एसोसिएशन कर्नलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा समन्वय बैठक एवं सम्मान समाहरोह कार्यक्रम का आयोजन साहू गेस्टहाउस कर्नलगंज गोण्डा में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन सर्राफा एसोसिएशन कर्नलगंज के अध्यक्ष श्री महेश कुमार मिश्रा (पिंटू मिश्रा) एवं सचिव श्री मोहम्मद सलीम सिद्दीकी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री अभिषेक दावाच्या व एस0डी0एम0 सुश्री नेहा मिश्रा उपस्थित रही। इसके अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज श्री नरेंद्र प्रताप राय, अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री अरविंद कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक बृजराज प्रसाद सहित मुख्य आरक्षी, आरक्षी एवं महिला आरक्षीगण भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सर्राफा एसोसिएशन करनैलगंज द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, व्यापारिक सुरक्षा एवं सुदृढ़ कानून–व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अंगवस्त्र भेंट कर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस के समर्पण एवं तत्परता की सराहना की गई। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल को जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु प्रभावी पुलिसिंग के लिए स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा "ऑपरेशन साइबर कवच" के अंतर्गत उपस्थित व्यापारियों एवं आम नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया सुरक्षा एवं डिजिटल लेन–देन में सतर्कता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन गतिविधि की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें तथा साइबर हेल्पलाइन का उपयोग करें। कार्यक्रम के अंत में सर्राफा एसोसिएशन करनैलगंज के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी सहयोग बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गयी।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 31.01.2026

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल व आर0ए0एफ0 के साथ किया गया फ्लैग मार्च–

गोण्डा। आज दिनांक 31.01.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में शांति, कानून–व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाली नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल एवं आर०ए०एफ० (रैपिड एक्शन फोर्स) की टीम के साथ फ्लैग मार्च/पैदल गश्त किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। आम नागरिकों से आपसी सौहार्द, भाईचारे एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सतर्क दृष्टि बनाए रखें, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा शरारती गतिविधियों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनसामान्य में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना, असामाजिक एवं अराजक तत्वों में कानून का भय स्थापित करना तथा शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना रहा।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, ए/91 बटालियन आर०ए०एफ० लखनऊ के असिस्टेंट कमांडेंट श्री प्रेम प्रकाश, निरीक्षक चन्दन कुमार, निरीक्षक मदन मोहन शर्मा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री विन्देश्वरी मणि त्रिपाठी सहित पुलिस बल एवं आर०ए०एफ० के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल,गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.01.2026</u>

<u>जनपदीय पुलिस से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने वाले 07 अधि0/कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी द्वारा शॉल व फूल–माला पहनाकर उज्ज्वल भविष्य की दी गई शुभकामनाएं–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 31.01.2026 को जनपद गोण्डा पुलिस से 01 निरीक्षक, 03 उ0नि0 व 03 हेड का0 अपनी अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को शॉल व फूल–माला पहनाकर, छाता व अन्य धार्मिक पुस्तके भेंट करते हुए विदा किया गया। महोदय द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मियों से सेवानिवृत्त होने पर उनके द्वारा पुलिस विभाग को दिये गये योगदान की सराहना की गयी एवं सेवानिवृत्ति उपरांत भी पुलिस विभाग का यथासंभव सहयोग करने की अपेक्षा की गयी तथा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।

<u>इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा, सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण एवं सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के परिवारीजन मौजूद रहे।</u>

<u>सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों का विवरण–</u>
01. रेडियो निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव।
02. उ0नि0 श्री सुनील कुमार तिवारी।
03. उ0नि0 श्री रघुपति उपाध्याय।
04. उ0नि0 श्री केदार राम।
05. मु0अ0 श्री लल्लू राम।
06. मु0अ0 श्री रामायण यादव।
07. मु0अ0 श्री रमापति उपाध्याय।

<u>मीडिया सेल गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 31.01.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी व जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–104/2026, धारा 109(1),303(2),115(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों रमेश उर्फ मुन्ना पुत्र बिहारी, निवासी पटेल नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा, 02. आदिल पुत्र शादाब, निवासी आसरा आवास, सिविल लाइन, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा को आसरा आवास कालोनी सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.01.2026 को समय करीब 12.00 बजे अपर तहसीलदार न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर गोण्डा में वादी राजाबाबू एडवोकेट की जेब से भीड़ का लाभ उठाकर रमेश उर्फ मुन्ना, सहबान व आदिल द्वारा मोबाइल चोरी किया गया। वादी द्वारा विरोध करने पर अभियुक्तों ने वादी पर चाकू से जानलेवा हमला किया। सूचना पर पुलिस के आने पर अभियुक्त स्वयं पर ब्लेड से वार करते हुए भीड़ का लाभ लेकर मौके से फरार हो गए थे। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 31.01.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्तों– रमेश उर्फ मुन्ना पुत्र बिहारी, 02. आदिल पुत्र शादाब को आसरा आवास कालोनी सिविल लाइन से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रमेश उर्फ मुन्ना पुत्र बिहारी, निवासी पटेल नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
02. आदिल पुत्र शादाब, निवासी आसरा आवास, सिविल लाइन, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–104/2026, धारा 109(1),303(2),115(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 राहुल प्रकाश।
02. हे0कां0 विजय कुमार सिंह
02. आ0 विनय प्रताप।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 31.01.2026</u>

एसटीएफ लखनऊ व को0 कर्नलगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 50,000/- के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस0टी0एफ0 लखनऊ व को0 कर्नलगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कर्नलगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 09/25, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित 50,000/- रू0 के इनामिया अभियुक्त मो0 अबू हंजाला उर्फ सादिक पुत्र सरफराज अंसारी नि0 ग्राम पटाइला थाना खुटहन जनपद जौनपुर को कठौवा पुल मोहम्मदपुर गढवार के पास से गिरफ्तार कर लिय गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.01.2025 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत जहांगीरवा क्रासिंग के पास कर्नलगंज पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान ट्रक संख्या यू0पी0 50 ए0टी0 1255 कर्नलगंज की ओर से तेज गति में आता दिखाई दिया। पुलिस बल को देखकर चालक द्वारा वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर मौके पर ही पलट गया। अंधेरा एवं रात्रि का लाभ उठाकर चालक, सहायक एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गये। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें रस्सियों से क्रूरतापूर्वक बांधे गये कुल 19 गोवंशीय बैल बरामद हुए, जिनमें 14 बैल जीवित तथा 05 बैल मृत अवस्था में पाये गये। मौके पर बुलाये गये पशु चिकित्सक द्वारा परीक्षण उपरान्त मृत बैलों का विधिवत पोस्टमार्टम कराकर दफन कराया गया तथा जीवित बैलों को नजदीकी गौशाला को सुपुर्द किया गया। ट्रक से सम्बन्धित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण धारा 207 एमवी एक्ट की कार्यवाही की गई। प्रकरण में वाहन स्वामी, चालक व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 3/5।/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त मो0 अबू हंजाला उर्फ सादिक गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा अभियुक्त मो0 अबू हंजाला उर्फ सादिक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 50,000/-का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें दिनांक 31.01.2026 को एस0टी0एफ0 लखनऊ व को0 कर्नलगंज की संयुक्त टीम द्वारा 50,000/- रू0 के इनामिया अभियुक्त मो0 अबू हंजाला उर्फ सादिक पुत्र सरफराज अंसारी नि0 ग्राम पटाइला थाना खुटहन जनपद जौनपुर को कठौवा पुल मोहम्मदपुर गढवार के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0 अबू हंजाला उर्फ सादिक पुत्र सरफराज अंसारी नि0 ग्राम पटाइला थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-09/25, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

<u>अभियुक्त मो0 अबू हंजाला उर्फ सादिक का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0स0 177/21 धारा 379,411 भादवि थाना खन्डासा जनपद अयोध्या।
02. मु0अ0स0 338/21 धारा 182,193,392,411 भादवि थाना बीकापुर जनपद अयोध्या।
03. मु0अ0स0 347/21धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना बीकापुर कोतवाली जनपद अयोध्या।
04. मु0अ0स0 184/21 धारा 379,411 भादवि थाना खन्डासा जनपद अयोध्या।
05. मु0अ0स0 200/21 धारा 392,411 भादवि थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।
06. मु0अ0स0 32/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।
07. मु0अ0सं0 09/25 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना_को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

01. प्र0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय (थाना को0 कर्नलगंज)
02. उ0नि0 अवनीश कुमार शुक्ला (थाना को0 कर्नलगंज)
03. उ0नि0 अमित कुमार तिवारी (एसटीएफ प्रभारी लखनऊ)
04. हे0का0 आलोक पाण्डेय (एसटीएफ लखनऊ)
05. हे0का0 अमित कुमार सिंह(एसटीएफ लखनऊ)
06. हे0का0 नितेश कुमार (थाना को0 कर्नलगंज)
07. का0 आदित्य पाल(एसटीएफ लखनऊ)

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 31.01.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 15–15 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 50,000–50,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 11.09.2012 को वादी सुशील पुत्र स्व0 परमेश्वर प्रसाद शुक्ला नि0 काजीदेवर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.09.2012 को विपक्षी निर्मल श्रीवास्तव व त्रियुगीनारायण गुप्ता द्वारा उनके भाई गौरव शुक्ल के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया था। जिससे उनके भाई को चोटे आयी है। जिसका ईलाज जिला अस्पताल गोण्डा में चल रहा है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें मोतीगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 31.01.2026 को थाना मोतीगंज में पंजीकृत जानलेवा हमला सम्बन्धी अपराध में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा व अभियोजक श्री बसन्त शुक्ला, थाना मोतीगंज की पैरोकार म0आ0 सारिका यादव व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 मनीषा के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा अभियुक्तगण निर्मल श्रीवास्तव व त्रियुगीनारायण गुप्ता को दोषसिद्ध करते हुए 15–15 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 50,000–50,000/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता–
01. निर्मल श्रीवास्तव उफ रूपेश पुत्र स्व0 बब्बन श्रीवास्तव नि0 मोहल्ला राजा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. त्रियुगीनारायण गुप्ता पुत्र हरिराम गुप्ता नि0 सोनार गली रानीबाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–203/12, धारा 307/34, भादवि थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.01.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 06 माह का कारावास व रूपये 3,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.09.2012 को वादी सुशील पुत्र स्व0 परमेश्वर प्रसाद शुक्ला नि0 काजीदेवर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.09.2012 को विपक्षी निर्मल श्रीवास्तव व त्रियुगीनारायण गुप्ता द्वारा उनके भाई गौरव शुक्ल के ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया था। जिससे उनके भाई को चोटे आयी है। जिसका ईलाज जिला अस्पताल गोण्डा में चल रहा है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें मोतीगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 31.01.2026 को थाना को0 देहात में पंजीकृत मारपीट सम्बन्धी अपराध में सहायक अभियोजन अधिकारी श्री नित्यानंद यादव, थाना को0 देहात के पैरोकार आ0 राम अनुज व कोर्ट मोहर्रिर आ0 पवन पटेल के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सिविल जज (जू0डि0/एफ0टी0सी0 द्वितीय) महोदय श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त मुनीजर को दोषसिद्ध करते हुए 06 माह का कारावास व रूपये 3,000/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. मुनीजर पुत्र कालिका नि0 भकुरहा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–100/91, धारा 323,504,506 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।